

कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी उद्धम सिंह नगर।
(राजकीय आश्रम पद्धति विधालय रुद्रपुर उद्धम सिंह नगर)

ई-निविदा-भोजन सामग्री आपूर्ति हेतु

(निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्तें)

भाग-एक

खण्ड "क"- ई-निविदा / भोजन सामग्री आपूर्ति

समाज कल्याण विभाग उद्धम सिंह नगर द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विधालय, उद्धम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2024-25 में भोजन सामग्री की आपूर्ति करने हेतु ऐसे निविदादाता जो निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों, से ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाइन (Online) तकनीकी (Technical Bid) एवं वित्तीय बिड (Financial Bid) निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र०सं०	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि/मूल्य
1.	वेबसाइट https://uktenders.gov.in पर निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	09 सितम्बर 2024
2.	तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को (Online Upload) करने की तिथि	09 सितम्बर 2024 से 21 सितम्बर 2024 11:59 PM तक
3.	निम्नलिखित को दो पृथक लिफाफों में बन्द करके तथा दोनों को एक लिफाफे में सील्ड कर जिला समाज कल्याण ऊद्धमसिंहनगर कार्यालय में उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि	21 सितम्बर 2024 सायं 5:00 बजे तक <ul style="list-style-type: none"> ■ निविदा आवेदन पत्र शुल्क ■ अर्नेस्ट मनी (EMD)
4.	तकनीकी बिड खुलने की तिथि	23 सितम्बर 2024
5.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊद्धमसिंहनगर
6.	निविदा आवेदन पत्र शुल्क	तकनीकी बिड के परिक्षणोपरान्त 2500+18% GST

- 1- ई-निविदा में प्रतिभाग करने के लिये निविदादाताओं के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना अनिवार्य है तथा निविदाओं से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊद्धम-उद्धम सिंह नगर में सर्वकर सकते हैं।
- 2- ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को Online Upload करने के लिये निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट <https://uktenders.gov.in> से Download कर सकते हैं।

भवदीय

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
जिला उद्धम सिंह नगर

// कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उद्धम सिंह नगर //

दिनांक: ०९ सितम्बर 2024

पत्रांक ९५२/स०क०/भोजन व्यवस्था/ 2024-25

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल की सेवा में परिपालनार्थ में सूचनार्थ प्रेषित।

3- नोडल अधिकारी, आई०टी० सैल, दहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

4- राजिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) ऊद्धमसिंहनगर सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
जिला समाज कल्याण अधिकारी

उद्धम सिंह नगर

खण्ड "ख"-कार्य का विवरण

1-समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड जनपद उधम सिंह नगर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उधम सिंह नगर में अध्ययनरत/निवासरत छात्र संख्या के आधार पर सत्र 2024-25 में भोजन सामग्री की आपूर्ति, शासन द्वारा शासनादेश संख्या- 258/XVII-A-3/2023-01(27)/2006 दिनांक 22 जून, 2023 के अनुसार निविदा में दिये गए मेन्यू में अंकित खाद्य सामग्री के अनुसार की जानी है। संस्था में पंजीकृत छात्र संख्या घट-बढ़ सकती है। शासन द्वारा भोजन की अधिकतम दर रु0 150.00 (रु0 एक सौ पचास मात्र) प्रति छात्र/प्रति दिन निर्धारित है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	संचालित कक्षा	स्वीकृत छात्र सं0
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उधम सिंह नगर	कक्षा- 01 से कक्षा- 05	60

- 2- निविदादाताओं द्वारा भोजन सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी दरें जीएसटी सहित आदि कर जोड़ते हुये उपरोक्त संस्था एक वर्ष के लिये निर्धारित प्रपत्र पर दी जानी हैं।
- 3- सफल निविदादाता को विद्यालय में भोजन सामग्री की आपूर्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर दी गई तिथि से प्रारम्भ करनी होगी, साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के साथ अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
उधम सिंह नगर

खण्ड 'ग' (निविदा की मुख्य शर्तें)

1. निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के लिफाफे के ऊपर "समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में संचालित संस्था का नाम में भोजन आपूर्ति हेतु निविदा" अवश्य लिखें।
2. सशर्त, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत एवं निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं इसके साथ दी गई शर्तों को हस्ताक्षरित करेगा और अपना/अपनी फर्म का पूर्ण नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित करेगा।
4. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र भाग-1 (क) (**Technical Bid**) को पूर्ण कर संलग्न करें तथा निविदा दरें प्रपत्र-1 (ख) (**Financial Bid**) में प्रस्तुत करें।
5. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने वाली समिति को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. निविदा के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य, प्रचार एवं किसी भी प्रकार का अवांछित दबाव जिससे निविदा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, निविदा निरस्त करने के लिये पर्याप्त होगा।
8. इस निविदा के माध्यम से अनुमोदित की गई दरें कार्यादेश दिये जाने की तिथि से माह अक्टूबर 2025 तक मान्य होगी।
9. सफल निविदादाता जिसकी दरें अनुमोदित की जायेगी और उसे भोजन व्यवस्था का आदेश जारी किया जायेगा। यदि सम्बन्धित निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में वर्णित अवधि के अन्तर्गत नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत धरोहर धनराशि / कार्य प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. भोजन आपूर्ति दिये गये मेन्यू (Menu) के अनुसार होनी चाहिये Menu संलग्न। मेन्यू (Menu) के अनुसार भोजन आपूर्ति न होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा तदनुसार बिलों में कटौती की जायेगी।
11. निविदादाता को जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
12. निविदादाता, श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
13. निविदादाता के पास निविदा से सम्बन्धित कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा इस हेतु उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा की अनुमानित लागत की दो प्रतिशत धरोहर धनराशि (Earnest Money) उपलब्ध करानी होगी। जो कि वापसी योग्य (Refundable) होगी।
15. निविदादाता/फर्म का व्यवसाय (Turnover) विगत तीन वर्षों में निविदा मूल्य का कम से कम तीन गुना होना चाहिए।
16. निविदादाता द्वारा आयकर/बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसे अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी। जो कि एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारन्टी के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर के नामें देय होगी।
18. जिस निविदादाता को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी उसका उक्त व्यवस्था के सही संचालन का उत्तरदायित्व भी होगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निविदा समिति को उसकी निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
19. न्यूनतम बोली/दर के आधार पर निविदा समिति द्वारा निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत निविदा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर द्वारा निविदादाता के साथ अनुबन्ध पत्र निष्पादन कराया जायेगा।
20. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड "प्रपत्र क" में एवं वित्तीय बिड आनलाईन BOQ में प्रस्तुत करनी होंगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

जिला समाजकल्याण अधिकारी
ऊद्यम सिंह नगर

21. न्यूनतम दर में एक से अधिक फर्में आने पर कार्य का आवंटन करने के लिए निविदा समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा, जो निविदादाताओं को मान्य होगा।
22. **धरोहर राशि (EMD)**—निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से, बैंक ड्रापट/एन.एस.सी./एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में देय हो, के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर राशि निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 06 (छ) माह के लिए बैंड होनी चाहिए। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदाओं की स्वीकृति के तुरन्त बाद उन्हें वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्यालय के पास जमा रहेगी। एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। EMD की गणना वर्तमान में प्राविधानित धनराशि के अनुसार की जायेगी। निविदादाताओं को धरोहर राशि प्रत्येक विद्यालय/संस्था निम्नानुसार जमा करनी होगी:-

क्र०सं०	संलग्नक सूची के अनुसार संस्थाओं का क्रमांक	धरोहर राशि (EMD)
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	अनुमानित/प्राविधानित धनराशि का रु0 27.00लाख तक 2 प्रतिशत लगभग (रु0— 54,000)

23. समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की “तकनीकी बिड” सफल घोषित की जायेगी, उन्हीं निविदादाताओं की “वित्तीय बिड” खोली जायेगी।
24. निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएँ यथारथान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हों, एवं आवेदन पत्र में दिये गये क्रमांक के क्रम में Upload की गयी हो। आवेदन पत्र में जो बिन्दु निविदादाता से सम्बन्धित न हों उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय।
25. समस्त संस्थाओं में भोजन की दर रु0 150/- प्रतिदिन प्रतिष्ठात्र/छात्र निर्धारित है। इससे अधिक दरें निविदा में दिए जाने पर निविदा अमान्य हो जाएगी, तथा अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 20 (झ) के अनुसार शून्य(zero) दर पर भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
 ऊधम सिंह नगर

खण्ड भाग 'घ' (तकनीकी बिड)

तकनीकी बिड प्रपत्र भाग 1 (क) के साथ निम्नवत् आवश्यक अभिलेख/प्रमाण—पत्र आनलाईन Upload करने होंगे। समस्त अभिलेख/प्रमाण—पत्रों को Online Upload न करने की स्थिति में निविदा रूप से ही निरस्त समझी जायेगी तथा निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मूल प्रति में प्रपत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।

1. फर्म का GST विभाग में पंजीकरण की सत्यापित प्रति तथा आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
2. विगत 02 (दो) वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति, निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि की रकैन की गई प्रति।
3. स्थायी आयकर खाता (PAN) संख्या की छायाप्रति।
4. विगत दो वर्षों का GST के भुगतान का प्रमाणपत्र।
5. सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. C.A द्वारा प्रदत्त विगत तीन वर्षों (2021–22, 2022–23 व 2023–24) की सम्मेक्षित वार्षिक वित्तीयविवरण।
7. निविदादाता की फर्म का टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित छात्र क्षमता के अनुसार होना चाहिए।

		संस्थाओं का विवरण	
क्र.सं.	छात्र संख्या	टर्न ओवर लाख में	
01	60 छात्र क्षमता तक	81.00 लाख	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

- नोट- नोट— जो निविदादाता फर्म का टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में निविदा मूल्य का कम से कम तीन गुना होना चाहिए।
8. निम्न बिन्दुओं पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ—पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि समस्त सूचनाएं प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना जो देना आवश्यक हो को छिपाया नहीं गया है और यदि कोई छिपाई जाती है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा संबंधित संस्था/फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, वह निविदादाता को मान्य होगी।

9. निविदादाता के खिलाफ किसी भी मात्र न्यायालय में अपराधिक वाद दायर न हों।
10. निविदादाता फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं होना चाहिये।
11. तकनीकी बिड से सम्बन्धित निम्नलिखित को दो पृथक—पृथक लिफाफों तथा इन लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में सील्ड कर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर में अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध कराया जाना है। जिन्हें पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात लिफाफा प्राप्त होने पर ई—निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे के दाहिनी ओर मोटे अक्षरों में “समाज कल्याण विभाग” द्वारा संचालित संस्थाओं में माह 01 अक्टूबर 2024 से 30 सितम्बर, 2025 तक हेतु भोजन आपूर्ति एवं विज्ञप्ति संग अनिवार्य रूप से अंकित करें।

- नोट- जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उसके मूल अभिलेखों की समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा किसी प्रकार निविदा स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्रपत्र भाग—1 (क) पर पूर्ण रूप से भरा हुआ तकनीकी बिड आवेदन पत्र, जिस पर यथारथान निविदादाता के दिनांक एवं मुहर सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये गये हो।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

खण्ड 'ड' (वित्तीय बिड)

1. वित्तीय बिड अर्थात् Financial Document में सभी प्रकार के कर आदि जोड़ते हुए संस्थावार प्रतिष्ठात्र प्रतिदिन के अनुसार दरें देनी होगी।
2. वित्तीय बिड आनलाईन दी गई BOQ प्रारूप में ही आनलाईन अपलोड करनी होगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुधम सिंह नगर

खण्ड 'च' (निविदा के अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तें)

1. विद्यार्थियों/संवासियों के लिए भोजन/जलपान तैयार करने हेतु संरथा द्वारा उपलब्ध कराये गये रथान तथा सुविधाओं (यथा गैस, चूल्हा, बर्तन, अन्य उपकरण इत्यादि, संरथा में उपलब्ध होने पर विजली का उपयोग इत्यादि) का निविदादाता से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जायेगा। किन्तु गैस भराने रिफिल आदि का दायित्व निविदादाता का होगा।
2. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी हेतु सम्बन्धित संरथाध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यार्थियों/संवासियों की पांच सदस्य एक समिति बनायी जायेगी। विद्यार्थियों/संवासियों को समिति में प्रतिमाह बदल दिया जायेगा। अर्थात् समिति में प्रतिमाह नये विद्यार्थी/संवासी रहेंगे।
3. परिस्थितिवश विद्यार्थी/संवासी संख्या में परिवर्तन सम्भावित है।
4. निविदा की अवधि एक वर्ष रखी जायेगी तथा निविदा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017 एवं वित्तीय नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा भोजन सामग्री गुणवत्ता के आधार पर नहीं दी जाती है संरथाध्यक्ष से वाद विवाद की स्थिति में समिति/कमेटी के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. किसी भी निविदा अथवा समर्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, निविदा समिति में सुरक्षित रहेगा।
7. चयनित निविदादाता द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी (EMD)/Security Money की समर्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा खीकार नहीं किया जायेगा।
8. चयनित निविदादाता द्वारा सम्बन्धित संरथा के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने हेतु ₹ 100/- (रुपये एक सौ) का नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर (जो टिकट के रूप में नहीं होगा) उपलब्ध कराना होगा।
9. कार्य सम्पन्न करने के लिए चयनित निविदादाताओं को जारी कार्यादेश एवं किये गये अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सम्बन्धित चयन समिति के पास रहेगा।
10. भोजन तैयार करने का माध्यम उच्च गुणवत्ता वाले सरसों का तेल रवि, वनस्पति धी एवं पर्चून रिफाइण्ड तेल होगा। उक्त सभी सील बन्द टीन/पैकेट में अच्छी व प्रचलित ब्राण्ड के होने चाहिए।
11. भोजन में प्रयुक्त होने वाले मसाले उच्च गुणवत्ता वाले एगमार्क के होने चाहिए।
12. प्रयुक्त किया जाने वाला नमक पिसा एवं आयोडीन युक्त होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त न होने की स्थिति में निविदादाता बाजार
13. आपूर्ति किया जाने वाला दूध गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त न होने की स्थिति में निविदादाता वाजार में प्रचलित उच्च ब्राण्ड के पैकेट बन्द दूध की आपूर्ति कर सकता है।
14. आपूर्तिकर्ता द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला भोजन नहीं दिया जाता है, एवं वाद विवाद की स्थिति में चयन समिति को निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे। उनके रहने की व्यवस्था रथान की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय प्रशासन/संरथा द्वारा की जायेगी। अन्यथा निविदादाता को उक्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
16. विद्यालय प्रशासन द्वारा आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने हेतु खाली गैस सिलेंडर जगह-रथान किचन, डायनिंग हाल, रसोर टूट-फूट, सफाई/गैस भट्टी पर्खों फिज आदि मरम्मत पर आने वाले व्यय भार का वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
17. अस्वरथ छात्रों हेतु चिकित्सीय परामर्श के अनुसार भोजन (जैसे दलिया, खिचड़ी, मूँग की दाल आदि) की व्यवस्था अलग से करनी होगी तथा विद्यालय में समय-समय पर होने वाली बैठकों, वर्कशाप आदि में आमंत्रित अतिथियों के भोजन, चाय आदि की व्यवस्था करनी होगी।
18. आपूर्तिकर्ता को भोजन तैयार करने के दौरान परिवेश स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों के बर्तनों की सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। स्टोर, किचन एवं डायनिंग हाल तथा उससे सम्बन्धित अन्य रथानों जैसे भोजनालय आदि की नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था तथा सफाई हेतु सर्फ, फिनाईल, मच्छरों को मारने हेतु पम्प/फिलिट की व्यवस्था भी आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अध्यम गिंह नगर।

- आपूर्तिकर्ता को ऋतु/मौसम के अनुसार ताजी सब्जियों एवं फलों की आपूर्ति करनी होगी।
20. आपूर्तिकर्ता जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में उल्लेखित तिथि से भोजन की आपूर्ति करनी होगी। अतः आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक दशा में उक्त तिथि से दो दिन पूर्व तक अपनी रामरत व्यवस्थायें पूर्ण कर लेनी होगी ताकि विद्यालय/संस्था प्रशासन भोजन आपूर्ति के सम्बन्ध में निश्चित हो सके।
21. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा छात्रों भोजन में रोजना दी जाने वाली सामग्री अण्डा, अमूल मक्कखन,फल आदि नहीं देता तो बाजार मूल्य दर पर उस सामग्री का मूल्य में्यु प्रत्येक दिन बिल में कटौती कर दी जायेगी। आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक माह की आपूर्ति के पश्चात बिल प्ररतुत किये जाने पर उस माह का भुगतान किया जायेगा तथा इसी क्रम में आगे का भुगतान भी किया जाता रहेगा।
22. विद्यालय में अवकाश (जैसे दीपावली, दशहरा, होली, ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश) आदि होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को अवकाश के दिवसों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
23. निविदादाता को विद्यालय में अवकाश पर चल रहे छात्रों तथा छात्र दिन या रात के भोजन के समय अपने घर जाता है, तो उक्त समय के भोजन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अनुपरिथि चल रहे छात्र/छात्राओं की संख्या का निर्धारण प्रतिदिन एमओडी० फार्म के आधार पर संरक्षणाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
24. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि विद्यालय परिसर में निविदादाता तथा निविदादाता द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण सम्बन्धित कर्मचारियों के पते के सत्यापन के साथ विद्यालय/संस्था प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा तथा उनके द्वारा विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का व्यसन जैसे, तम्बाकू, गुटखा, धुम्रपान तथा मदिरा सेवन इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में पाये जाने पर विधि सम्मत वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार विभाग का होगा।
25. किसी अवयस्क बच्चे को कार्य पर नहीं रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। भविष्य में कभी भी उक्त प्रकरण प्रकाश पर आने पर पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता का होगा।
26. शासन से बजट विलम्ब से मिलने पर ठेकेदार को कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा कोई भी धनराशि अग्रिम नहीं दी जायेगी।
27. ग्रीष्मऋतु, वर्षाऋतु एवं शरदऋतु में नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं सायं काल का नाश्ता एवं रात्रि भोजन का निर्धारण संबंधित संरक्षणाध्यक्ष के अनुसार बताये गये समय पर करानी होगी।
28. निविदा द्वारा उक्त व्यवस्थायें किये जाने हेतु पृथक से कोई अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। अपितु उक्त व्यवस्थायें पूर्व से प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत की जायेगी।
29. “कैन्टीन-मैस” परिसर से निकलने वाले कूड़े इत्यादि को संरक्षणाध्यक्ष द्वारा बताये गये स्थान पर डिस्पोर्ड किया जाना अनिवार्य होगा।
30. “कैन्टीन-मैस”में समरत कुकिंग केवल व्यावसायिक गैस कनैक्शन (कॉमर्शियल) होगा। लकड़ी, कोयला, हीटर का प्रयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

 उधमसिंहनगर।
 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 उधम सिंह नगर।

प्रपत्र-भाग 1(क)

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर
में वर्ष 2024-25 के लिए भोजन सामग्री की आपूर्ति करने के लिए
तकनीकी बिड (Technical Bid)

1. निविदादाता का नाम.....
 2. पता.....
 3. फोन नम्बर कार्यालय..... मोबाइल.....
 4. दो वर्ष के आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र/आयकर रिटर्न.....
 5. स्थायी आयकर खाता संख्या (PAN).....
 6. TIN No./G.S.T No.
 7. CA। द्वारा विगत तीन वर्षों की Balance Sheet
 8. चरित्र प्रमाण पत्र
 9. "फूड सेपटी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया" द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
 10. निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शापथ-पत्र संलग्न करें-
 - किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं है।
 - निविदादाता को किसी भी राज्य द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त किया गया है।
 11. निविदा आवेदन पत्र के मूल्य का विवरण:-
(सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंहनगर को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करवाये)
 - डी०डी० नं० व दिनांक.....
 - धनराशि—रु.....
 - बैक का नाम व शाखा.....
 12. धरोहर राशि (EMD) का विवरण:-
(सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी को सील्ड लिफाफे में उपलब्ध करवाये)
 - डी०डी० नं० व दिनांक.....
 - धनराशि —रु.....
 - बैक का नाम व शाखा
 13. तकनीकी बिड के संलग्नकों की संख्या.....
 14. अन्य कोई विवरण:-
मैं..... मैसर्स.....
-का मालिक/.....प्रतिशत साझेदार/प्रबन्धक हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

संस्था क

जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Annxture- Part 1 (A)

Technical Bid

Procurement of supply Food item in Govt. Ashram Type School

Rudrapur Udhamp Singh Nagar

Uttarakhand for 2023-2024

1- Name of the Tenderer.....

2-Address.....

3-Phone (Office).....Mobile No.....

4-IT Returns for last two years.....

5-PAN.....

6-TIN/GST No.

7-Balance Sheet of last 3 years.....

(Issued by CA)

8-Character Certificate.....

9-Certificate issued by the food Safty and Standard Authority of India.....

10-Notarized affidavit for the following-

(a)- That no dispute with any of govt. dept. is pending.

(b)- That neither the tenderer is black listed by any of the states nor has his urnest money ever been forefitted.

11-Details of the value of the tender form-

(To be made available to District Social Welfare Officer, Udhamp Singh Nagar in a sealed envelop)

(a)-DD No. & Date.....

(b)- Amount

(c)-Bank & Branch.....

12-Details of EMD-

(To be made available to District Social Welfare Officer, Udhamp Singh Nagar in a sealed envelop)

(a)-DD No. & Date.....

(b)- Amount

(c)-Bank & Branch.....

13-No. of enclosures with technical bid.....

14-Any Other deltaill:-

IM/S/ Owner and% Partner of the Firm; hereby owe complete responsibility towards the formality of fulfilment of this tender and all its documents. Above mentioned information is absolutely true to the best of my knowledge and belief and no information has been kept hidden. If any of the same is found false or incomplete, I'll be resonsible for that.

Date.....

Sig. of Tenderer

Name

(Seal the Firm)

F.S. प्रमाज कल्याण अधिकारी
उद्धम सिंह नगर

दिवस	प्रातः कालीन नाश्ता (समय-7:00 बजे)	दोपहर का भोजन (समय- 1:00 बजे)	सायंकालीन नाश्ता (समय- 4:00 बजे)	रात्रि भोजन (समय-7:00-8:00 बजे)
सोमवार	1 ब्रेड रोल/ब्रेड पकोड़ा सॉस के साथ 02 नग बडे 2 दूध- 200 मि0ली0	1 दाल- 50 ग्राम 2 चावल-150 ग्राम 3 आटा -100 ग्राम 4 हरी सब्जी-75 ग्राम 5 धी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार 6 सलाद-50 ग्रा	1 बिस्कुट- 4 पीस-पारलेजी 2 चाय- 100 मिली या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल- 50 ग्राम 2 चावल-150 ग्राम 3 आटा -100 ग्राम 4 हरी सब्जी-75 ग्राम 5 धी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार
मंगलवार	1 आलू पूरी 2 दूध- 200 मि0ली0	-तदैव-	हलवा सूजी 1 सूजी- 40 ग्राम 2 शक्कर-20 ग्राम 3 धी-10 ग्राम 4 चाय- 100 मि0ली0 5 मिक्स वेज/टोमेटो सूप	-तदैव-
बुद्धवार	1 आलू पराठा/ मूली पराठा 2 अचार/चटनी 3 दूध- 200 मि0ली	-तदैव-	1 सिंवईया- 30 ग्राम 2 दूध- 100 ग्राम 3 शक्कर- 20 ग्राम 4 रिफाइण्ड- 5 ग्राम 5 चाय- 100 मि0ली0	-तदैव-
गुरुवार	1 उपमा/ सिंवईयां 2 दूध- 200 मि0ली0	-तदैव-	1 फाइड चना 2 रिफाइण्ड- 5 ग्राम 3 चाय-100 मि0ली0	1 चावल- 200 ग्राम 2 दाल- 50 ग्राम 3 हरी सब्जी-50 ग्राम 4 अचार- 10 ग्राम 5 सलाद- 50 ग्राम
शुक्रवार	1 ब्रेड-04 पीस 2 मक्खन- 20 ग्राम 3 दूध- 200 मि0ली0	-तदैव-	1 बिस्कुट- 4 पीस-पारलेजी 2 चाय- 100 मिली0 या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल- 50 ग्राम 2 चावल-150 ग्राम 3 आटा -100 ग्राम 4 हरी सब्जी-75 ग्राम 5 धी,तेल,मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार
शनिवार	1 कॉर्न फ्लेक्शा/फाइड		बेसन की पकौड़ी	

जिला संभाजि कल्याण
कृष्णगढ़ नगरपालिका

	चना/दूध-सिंवईयां 2 चाय-100 मि०ली०	-तदैव-	1 बेसन-40 ग्राम 2 तेल- 20 ग्राम 3 प्याज,आलूहरी मिर्च- 10 ग्राम 4 चाय-100 मि०ली०/ मिक्स वेज/टोमेटो सूप	-तदैव-
रविवार	1 पोहा/फाइड चना/दूध-सिंवईयां 2 चाय- 100 मि०ली०	1 पूँडी हेतु आठा 200 ग्राम 2 खीर, पुलाव हेतु चावल-150 ग्राम 3 सब्जी- 100 ग्राम 4 छोले- 50 ग्राम 5 सलाद- 50 ग्राम 6 दूध-200 ग्राम 7 शक्कर- 20 ग्राम 8 अचार- 10	1 बिरंकुट- 4 पीस-पारलेजी 2 चाय- 100 मि०ली० या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1 दाल की खिचडी/ तहरी 2 अचार-10 ग्राम 3 सलाद-50 ग्राम

सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार को अण्डा करी।

नोट:-

- निर्धारित भोजन तालिका में दाल के अन्तर्गत सभी प्रकार की दाले (जैसे राजमा, लोबिया, कुलहत, अरहर, मसूर एवं मूग इत्यादि) तथा (सब्जियां मौसम के अनुसार) प्रतिदिन अलग-अलग उपलब्ध कराई जायेगी।
- कुकिंग का माध्यम रिफाइण्ड/सरसों का तेल होगा।
- शीतकाल में मूँगफली, गुड़, चना आदि दिया जाएगा।
- दलिया/सिंवईया में दूध की मात्रा 200 मिली में ही सम्मिलित होगी।
- प्रत्येक छात्र/को प्रति दिन एक मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
- सप्ताह में तीन दिन अण्डा ऐग करी के रूप में दिया जाएगा।

जिला जैमज कल्याण अधिकारी
जिला जैमज सिवारुद्ध
जिला जैमज कल्याण अधिकार
उधमसिंहनगर।

प्रपत्र-1 (ग)

AFFIDAVIT

To,

The District Social Welfare, Officer
Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Dear Sir,

- I accept all the terms and conditions of the tenders.
- I have read and accepted the Menu and will supply the food accordingly.
- I will supply the food with in time limit; will be given in the supply order.
- If I will fail to supply the order within the given time you can charge Rs 500/day or up to the amount of security/earnest money.
- The rates given by us will be valid for one year only.

Dated:------

Sign-----

Place :------

Name-----

Name of firm and address

जिला समाज कल्याण अधिकारी
उद्धम सिंह नगर

आहार सारणी (Diet Chart) / मेन्यू(Menu)

दिवस	प्रातः कालीन नाशता (समय- 7.00 बजे)	दोपहर का भोजन (समय- 7.00 बजे)	सांयकालीन नाशता (समय- 4.00 रो 5.00 बजे)	रात्रि भोजन (समय- 7.00 से 8.00 बजे)
सोमवार	1. ब्रेड रोल/ब्रेड पकोड़ा सॉस के साथ 02 नग यडे 2. दूध-200 मि.ली०	1 दाल- 50 ग्राम 2 चावल- 150 ग्राम 3 आटा- 100 ग्राम 4 हरी सब्जी -75 ग्राम 5 घी, तेल, मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार 6 सलाद-50 ग्राम	1 गिस्कुट- 4 पीस-पारतेजी 2. चाय- 100 मिली या मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1. दाल- 50 ग्राम 2. चावल- 150 ग्राम 3. आटा- 100 ग्राम 4 हरी सब्जी -75 ग्राम 5. घी, तेल, मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार
मंगलवार	1. आलू पूरी 2. दूध-200 मि.ली०	-तरंग-	हलवा सूजी 1. सूजी-40 ग्राम 2. शक्कर-20 ग्राम 3. घी-10 ग्राम 4. चाय-100 मिली० 5. मिक्स वेज/टोमेटो सूप	-तरंग-
बुधवार	1. आलू परांठा/ मूली परांठा तथा 2 अचार/चटनी 3. दूध-200 मि.ली०	-तरंग-	1. सिंवईयां 30 ग्राम 2. दूध- 100 ग्राम 3. शक्कर-20 ग्राम 4. रिफाइण्ड-5 ग्राम 5. चाय- 100 मिली०	-तरंग- 6.00 रुपये
गुरुवार	1. उपमा/सिवईयां 2. दूध-200 मि.ली०	-तरंग-	1. फाइड चना 2. रिफाइण्ड-5 ग्राम 3. चाय- 100 मिली०/ मिक्स वेज/टोमेटो सूप	1. चावल-200 ग्राम निम्न 2. दाल-50 ग्राम 3. हरी सब्जी-50 ग्राम 4. अचार-10 ग्राम 5. सलाद-50 ग्राम
शुक्रवार	1. ब्रेड 04 पीस 2. मयखन 20 ग्राम 3. दूध-200 मि.ली०	-तरंग-	1. गिस्कुट- 4 पीस 2. चाय-1 कप/ मिक्स वेज/टोमेटो रूप	1. दाल- 50 ग्राम 2. चावल- 150 ग्राम 3. आटा- 100 ग्राम 4. हरी सब्जी -75 ग्राम 5. घी, तेल, मिर्च, मसाला निर्धारित मानक के अनुसार

नार	1. लोनी फलैयरा/ लोगिया 2. आटा / धेरन चीला-02 3. दूध-200 मि0ली0	- तदैय-	वेसन की पकौड़ी 1. वेसन-40 ग्राम 2. रोल-20 ग्राम 3. प्याज, आलू, हरी मिर्च-10 ग्राम 4. चाय-100 मि0ली0 / मिक्का वेज / टोमेटो सूप	- तदैच-
रविवार	1. पोहा / फाइड चना / दूध-सिवईयां, 2. चाय 100 मि0ली0	1. पूँडी हेतु आटा-200 ग्राम 2. खीर, पुलाव हेतु चावल -150 ग्राम 3. सब्जी-100 ग्राम 4. छोले - 50 ग्राम 5. सलाद-50 ग्राम 6. दूध - 200 ग्राम 7. शबकर-20 ग्राम 8. अचार- 10 ग्राम	1. विस्कुट- 4 पीस 2. चाय- 100 मि0ली0 / मिक्का वेज / टोमेटो सूप	1. दाल की खिचड़ी / तेहरी 2. अचार-10 ग्राम 3. सलाद-50 ग्राम

नोट-

- निर्धारित भोजन तालिका में दाल के अन्तर्गत सभी प्रकार की दालें (जैसे राजमा, लोगिया, कुलहत, अरहर, मसूर एवं मूँग इत्यादि) तथा सब्जियां (मौसम के अनुसार) प्रतिदिन अलग-अलग उपलब्ध कराई जायेगी।
- कुकिंग का माध्यम रिफाइण्ड/सररों का तेल होगा।
- शीतकाल में मूँगफली, गुड़, चना आदि दिया जाएगा।
- दलिया/सिवईया में दूध की मात्रा 200 मि0ली में ही सम्मिलित होगी।
- प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन एक मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
- सप्ताह में तीन दिन अपड़ा ऐंग करी के रूप में दिया जाएगा।

2/5